

उत्तर पश्चिम रेलवे

पत्र सं. 76 / Concession / 2015

मंडल कार्यालय, अजमेर
दिनांक 24 / 06 / 2015

सर्व संबंधित,
अजमेर मंडल।


विषय:— शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करना।

संदर्भ:— रेलवे बोर्ड का वाणिज्य परिपत्र संख्या 18 / 2015 दिनांक 19.03.2015

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों द्वारा रेल यात्रा हेतु (ई व आई टिकट सहित) रियायत प्राप्त करने हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र अजमेर मंडल के नजदीक रहने वाले व्यक्तियों से संलग्न प्रोफोर्मा में समस्त अनुलग्नक सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस हेतु आवश्यक निर्देश उत्तर पश्चिम रेलवे की वेबसाइट www.nwr.indianrailways.gov.in के division.ajmer के लिंक पर उपलब्ध है। जिसे डाउन लोड कर उपयोग में लिया जा सकता है। इस कार्ड का उपयोग यात्री द्वारा अनारक्षित टिकट तथा आरक्षित टिकट (आईआरसीटीसी सहित) किया जा सकेगा।

इसका व्यापक प्रसार-प्रचार किया जाये।

संलग्न: Proforma


वरि.मंडल वाणिज्य प्रबन्धक,
अजमेर

सेवा में,

वरि.मंडल वाणिज्य प्रबन्धक,

मंडल कार्यालय, (उ.प.रे)

अजमेर 305001

विषय:- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन।

1.	आवेदक का नाम	श्री/श्रीमती/कु
2.	पिता/पति का नाम	श्री
3.	जन्म तिथि	
4.	पता :	
		पिन कोड
5.	संपर्क हेतु दूरभाष सं./मोबाईल नम्बर	
6.	अक्षमता का प्रकार:	अस्थि विकृत/अधरंग व्यक्ति/मानसिक विकृत/पूर्णतः नेत्रहीन/पूरी तरह से मूक एवं बधिर
7.	रियायत प्रमाण पत्र जारी करने वाले अस्पताल/ संस्था का पूरा नाम व पता	
8.	प्रमाण पत्र जारी करने वाले डाक्टर/संस्था का नाम	
9.	डाक्टर का रजिस्ट्रेशन नं.	

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले स्वयं प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतिलिपी की चैक लिस्ट

1.	रियायत प्रमाण पत्र (उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार से जारी)	हाँ/नहीं
2.	फोटो आई.डी.प्रमाण	हाँ/नहीं
3.	जन्म तिथि प्रमाण	हाँ/नहीं
4.	पते का प्रमाण	हाँ/नहीं
5.	दो फोटो/स्टैम्प साईज	हाँ/नहीं

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

नोट- (1) आवेदन पत्र भेजने का पता वरि.मंडल वाणिज्य प्रबन्धक,

मंडल कार्यालय, माल रोड,

(उ.प.रे) अजमेर पिनकोड 305001

(2) आवेदन पत्र व्यक्तिगत या डाक द्वारा भेजा जा सकता है। लिफाफे पर - "शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के रेल रियायत हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र जारी करने हेतु आवेदन" लिखा होना चाहिए

(3) कार्ड जारी करने से पूर्व मूल रियायत प्रमाण पत्र पर कार्यालय द्वारा आवश्यक इन्द्राज व सील लगायी जायेगी अतः रियायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते समय बिना लेमिनेशन का होने पर ही कार्ड जारी किया जायेगा।

(नियम 101, क्रम सं. 25, 28, 29(1) देखें)

विकलांगों के लिए रियायत प्रमाण पत्र

शारीरिक रूप से अस्थि विकृति से विकलांग/अधरंग व्यक्ति/मरीजों/मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति/पूरी तरह से नेत्रहीन/पूरी तरह से मूक एवं बधिर व्यक्ति के लिए रियायती प्रमाण पत्र

जारी करने वाले डॉक्टर द्वारा
विधिवत् रूप से हस्ताक्षर
किया गया एवं मोहर लगाया
हुआ पासपोर्ट आकार का
फोटो चिपकाएं

यह प्रमाणित किया जाता है कि कुमारी/श्री/श्रीमती.....जिनका विवरण नीचे दिया गया है, वास्तव में अस्थि विकृति से विकलांग/अधरंग व्यक्ति /मरीज है जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/पूर्ण रूप से नेत्रहीन/पूर्ण रूप से मूक एवं बधिर व्यक्ति है*

विवरण :-

- क) पता :.....
- ख) पिता/पति का नाम :.....
- ग) आयु :.....
- घ) लिंग :.....
- ड) अक्षमता किस प्रकार की है:(डॉ. द्वारा लिखा जाए कि अक्षमता स्थायी या स्थायी है।).....
- घ) रियायत मांगने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान (जिनके दोनो हाथ नहीं हैं या काम नहीं कर सकते, उनके लिए आवश्यक नहीं):.....

(सरकारी डॉक्टर के हस्ताक्षर)

संस्थान.....

दिनांक.....

सरकारी अस्पताल की स्पष्ट मोहर#

मोहर में डॉ. का पूरा नाम और रजिस्ट्रेशन सं.#

*जहां लागू न हो उसे काट दें

#नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए आरएमपी/नेत्रहीनों के लिए मान्यता प्राप्त संस्था का प्रधान भी प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

नोट :-

1. यह प्रमाण पत्र अस्थि विकृति से विकलांग अक्षम/अधरंग व्यक्ति/मरीज जो बिना किसी सहचर की सहायता से यात्रा नहीं कर सकता/मानसिक रूप से मंदित व्यक्ति जो सहचर के बिना यात्रा नहीं कर सकता/पूर्ण रूप से नेत्रहीन/पूर्ण रूप से मूक एवं बधिर व्यक्ति को जारी को जारी किया जाना चाहिए। फोटो पर हस्ताक्षर और मोहर इस प्रकार होनी चाहिए कि डॉक्टर के हस्ताक्षर और मोहर आंशिक रूप से फोटो पर और आंशिक रूप से प्रमाण पत्र पर हो
2. मानसिक रूप से मंदित व्यक्तियों/पूर्ण रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों/मूक एवं बधिर व्यक्तियों (दोनों अक्षमताओं) के लिए यह प्रमाण पत्र जारी की गई तिथि से पाँच वर्ष के लिए मान्य होगा। अस्थि विकृति से विकलांग और अधरंग व्यक्तियों के मामले में अस्थायी अक्षमता के लिए यह प्रमाण पत्र 5 वर्ष के लिए मान्य होगा और स्थायी अक्षमता के मामले में यह प्रमाण पत्र (i) 25 वर्ष आयु तक के व्यक्तियों के मामले में 5 वर्ष (ii) 26 से 35 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष (iii) 35 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए यह प्रमाण पत्र संबंधित व्यक्तियों के पूरे जीवन के लिए मान्य रहेगा। प्रमाण पत्र की समय-सीमा समाप्ति के बाद, व्यक्ति को नया प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. रियायत देने के लिए इस प्रमाण पत्र को फोटोप्रति भी स्वीकार की जाएगी। मूल प्रमाण पत्र रियायती टिकट की खरीद के समय और यात्रा के समय, यदि मांगा जाता है तो प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
4. इस फॉर्म में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने की अनुमति नहीं है।

Appendex 1/45

(See Rule 101, Sl, No. 25,28, 29(1))

(Concession (Certificate for Physically handicaped)

Concession certificate from for orthopaedically handicapped/paraplegic person/patients/mentally retarded person/completely blind person/totally deaf and dumb person.

Paste passport Size
photograph duly
signed and stamped
by the
issuing doctor

This is to certify that KM/Shri/Smt....., whose particulars are furnished below, is bonafide ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/PARAPLEGIC PERSON/PATIENTS WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT THE ASSISTANCE OF AN ESCORT/MENTALLY RETARDED PERSON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT /COMPLETELY BLIND PESON / TOTALLY DEAF AND DUMB PERSON.

Particulars

- a) Address :.....
b) Father's /Husband Name :.....
c) Age :.....
d) Sex :.....
e) Nature of Handicap: (To be written by the doctor whether the disability is temporary or permanent)
f) Signature or thumb impression
of the person seeking concession (not necessary for those with
Both hands missing or non-functional):.....

.....
(Signature of Government Doctor)

Place.....

Date.....

.....
Clear seal of Government

.....
Seal containing full name and Hospital#
Regn. No. of the Doctor#

** Strike out where not applicable.

For blind persons RMP/head of institution for the blind recognized can also issue certificate for blind.

Note:-

1. This Certificate should be issued only to those ORTHOPAEDICALLY HANDICAPPED/PARAPLEGIC PERSON/PATIENTS WHO CANNOT TRAVE WITHOUT THE ASSISTANCE OR AN ESCORT/ MENTALLY RETARDED PESON WHO CANNOT TRAVEL WITHOUT AN ESCORT /COMPLETELY BLIND PERSON/TOTALLY DEAF & DUMB PERSON. The photo must be signed and stamped in such a way that doctor's signature and stamp appears partley on the photo and partly on the certificate.
2. For Mentally retarded person/ Completely blind person/ Deaf and dumb person (both affictions together), the certificate will be valid for fice years form the date of issue. For temporary disability in the case of orthopedicaly/paraplegic persons the certificate will be vaild for 5 year and in case of permanent disability, the cerificate will remain valid for (i) five years, in case of person upto the age of 25 years, (2) ten years, in case of persons in the age group of 26 to 35 years and (3) in case of persons above the age of 35 years, the certificate will remain valid for whole life of the concerened persons. After expiry of the period vaildity of the certificate, the person is required to obtain a fresh certificate.
3. Photocopy of this certificate is acceptable for the purpose of grant of concession. The original certificate will have to produced for inspection at the time of purchase of concessional ticket and during journey, if demand.
4. No. alteration in the form is permitted.